"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 मार्च 2010—फाल्गुन 19, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 10 मार्च, 2010 (फाल्गुन 19, 1931)

क्रमांक-88/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010), जो दिनांक 10 मार्च, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 2 सन् 2010)

भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम (1899 का सं. 2) का संशोधन.

2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) को छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लागू हुए रूप में उस रीति में संशोधित किया जाये जो कि इसमें इसके पश्चात् उपबंधित की गई है.

धारा 47-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 47-क में :—

(एक) उप-धारा (3-क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा (4) जोड़ी जाये, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, विहित रीति में, संभाग के आयुक्त अथवा ऐसे अधिकारी को कर सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त हो."

(दो) उप-धारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील में पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील विहित रीति में, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़ को कर सकेगा."

(तीन) उप-धारा (6) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रत्येक" के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"प्रथम तथा द्वितीय"

(चार) उप-धारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"(8) द्वितीय अपील में पारित आदेश या जहां कोई द्वितीय अपील न की गई हो, वहां प्रथम अपील में पारित आदेश अंतिम होगा और यथा स्थिति प्रथम या द्वितीय अपील में पारित किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, वह आदेश जो कलेक्टर द्वारा उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन पारित किया गया हो अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चूंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संभागीय स्तर पर, संभागीय राजस्व आयुक्त के नाम से राजस्व प्राधिकारी का पद सृजित किया गया है. इसलिए अब संभागीय स्तर पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी संभव है. अतएव छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लागू हुए रूप में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 47-क के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 5 फरवरी, 2010

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-क का उद्धरण छत्तीसगढ़ को लागू रूप में

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

47. क. न्यून मूल्यांकित लिखतों पर किस प्रकार कार्यवाही की जायेगी :—

(1) यदि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी किसी लिखत की रजिस्ट्री करते समय यह पता है कि उस सम्पति का, जो कि ऐसे लिखत की विषय-वस्तु है बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम उपवर्णित किया गया है तो वह, ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करने के पूर्व उसे ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पद देय उचित शुल्क के अवधारण के लिये कलेक्टर को निर्देशित करेगा.

[(1-क) जहां कि लिखत में दर्ज किया गया बाजार मूल्य, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है और रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि बाजार मूल्य लिखत में सही-सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह ऐसे लिखत की रजिस्ट्री करेगा और उसके पश्चात् उसे ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य के तथा उस पद देय उचित शुल्क के अवधारण के लिये कलेक्टर को निर्देशित करेगा.]

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, कलेक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, जांच करने के पश्चात् इस सम्पत्ति का जो कि ऐसी लिखत विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा. शुल्क की रकम में अन्तर, यदि कोई हो, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी हो.

(3) कलेक्टर, स्वप्रेरणा से, किसी ऐसी लिखत के, जो कि उपधारा (1) के अधीन उसे पहिले ही निर्देशित न किया गया हो, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पांच वर्ष के भीतर लिखत को मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, जिससे कि वह उस सम्पत्ति के, जो कि किसी ऐसे लिखत की विषय-वस्तु है, बाजार मूल्य के तथा उस पर देय शुल्क का सही होने के संबंध में स्वयं का समाधान कर सके और यदि ऐसी परीक्षा के पश्चात् उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य लिखत में सही-सही दर्ज नहीं किया गया है तो वह उपधारा (2) में उपबंधित की गई प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य का तथा यथापूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकेगा. शुल्क की रकम में अंतर, यदि कोई, उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी हो :

परंतु इस उपधारा में की कोई भी बात किसी ऐसे लिखत को लागू नहीं होगी जो कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किया गया हो.

[(3-क) इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन के लिये, कलेक्टर को साक्षियों या उनमें से किसी को भी, जिनमें लिखत के पक्षकार भी सम्मिलित है, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहां तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिये विवश करने की शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम, 1908 का सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय के मामले में उपबंधित है.]

(4) विलोपित

(* भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 5 सन् 2006) दिनांक 11-6-2007 को राजपत्र में प्रकाशित.)

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, छत्तीसगढ़, को ऐसी रीति में जैसी कि विहित किया जाए, कर सकेगा.

(6) प्रत्येक अपील उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाईल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाईल की जायेगी तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, उपस्थापित एवं सत्यापित की जायेगी :

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में, वह समय छोड़ दिया जाएगा जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो.

(7) अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी कि विहित की जाय :

परन्तु कोई भी आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(8) अपील में पारित आदेश या जहां कोई अपील नहीं की गई हो, वहां उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा इसे किसी भी सिविल न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.